



कार्यालय:- उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी
प्रमंडल, मेदिनीनगर।

Ph.No.-06562-295573

E.mail Id : dfo-ptrsouth@gov.in

पत्रांक :.....690.

दिनांक : 15/06/2021

सेवा में,

Sri Vikash Anand,
Row Executive,
Jio Digital Fibre Pvt. Limited,
Jharkhand.

विषय :- Jio Reliance Infocom Ltd. द्वारा लातेहार जिला अन्तर्गत छिपादोहर-
महुआडांड-गारु-विजयपुर रोड के किनारे optical fibre cable बिछाने हेतु
कुल 2.4447 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड,
राँची का पत्रांक-751 दिनांक-08.04.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (अनुलग्नक सहित) की छायाप्रति इस पत्र के साथ
संलग्न है। प्रासंगिक पत्र द्वारा किये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त संबंध में
प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ वापस करते हुए अनुरोध है कि सभी बिन्दुओं का अनुपालन
करते हुए संशोधित प्रस्ताव शीघ्र समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई हेतु उसे उच्चाधिकारियों को
भेजा जा सकें।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक,
पलामू ब्याघ्र परियोजना,
दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर।



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002

Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744



पत्रांक.....751.....

दिनांक.....०४/०५/२०२१.....

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटनगंज।

विषय:-

Jio Reliance Infocom Ltd द्वारा लातेहार जिला अंतर्गत छिपादोहर-
महुआडांड-गारु-विजयपुर रोड के किनारे optical fiber cable बिछाने हेतु
कुल 2.4447 हे० वन भूमि अपयोजन,के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 176 दिनांक 10.02.2021 एवं प्रधान मुख्य वन
संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची
का पत्रांक 524 दिनांक 05.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि
विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 524 दिनांक 05.04.2021 की छायाप्रति संलग्न एवं प्रस्ताव
की मूल प्रतियाँ वापस करते हुए अनुरोध है कि पत्र में उल्लेखित सभी बिन्दुओं का अनुपालन
सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

M
०४/०५

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, राँची।
०४/५/२१

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- S24 दिनांक:- 05/4/2021

Prakash Sr.
05/04/2021
M
05/04/2021

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची।

विषय :- JIO Reliance infocom Ltd द्वारा लातेहार जिला अंतर्गत
छिपादोहर-महुआटांड-गारू-विजयपुर रोड़ के किनारे Optical fiber cable
बिछाने हेतु कुल 2.4447 हे० वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 353 दिनांक 15.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं०
FP/JH/OFC/47925/2020 की पांच-पांच प्रतियां Hard Copy एवं Online इस कार्यालय में प्राप्त हुआ
है। प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित कमियां/त्रुटियां पाई गई है:-

1. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का Legal Status स्पष्ट नहीं है। पार्ट-II के कॉलम में प्रमंडलवार Legal Status अंकित किया जाये।
2. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि को दर्शाते हुये 1:50000 स्केल का टोपोशीट संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ FRA 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
4. दोनों वन प्रमंडल से प्राप्त प्रस्ताव पर पेजिंग नहीं है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस पेज पर कौन सी अनुलग्नक (अभिलेख) है।
5. चूकि प्रस्तावित वनभूमि पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल डालटेनगंज में अवस्थित है। अतः SBWL/NBWL की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, अथवा नहीं? यदि आवश्यक है, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?
6. उप निदेशक पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल डालटेनगंज द्वारा पार्ट-II में दर्ज प्रविष्टि पूर्ण नहीं है। उनके द्वारा दर्ज पार्ट-II में कंडिका 3 से कंडिका 13 तक का उल्लेख (व्यौरा अंकित) नहीं है।
7. चूकि प्रस्तावित वनभूमि दो वन प्रमंडल क्रमशः पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल डालटेनगंज से गुजरेगी अतः दोनो वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पार्ट-II में प्रविष्टि दर्ज किया जाये।
8. प्रस्ताव के साथ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज का प्रविष्टि दर्ज कर पार्ट-III संलग्न नहीं है।
9. प्रस्ताव के साथ दोनो वन प्रमंडल हेतु वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है। इस परियोजना में कितने वृक्ष काटे जायेंगे तथा कितने वृक्षों का Trimming किया जायगा।
10. भारत सरकार द्वारा General Approval के तहत दिये गये दिशा निर्देश का समय सीमा दिनांक 31.12.2020 को समाप्त हो चुकी है। चूकि प्रयोक्ता अभिकरण JIO Reliance infocom Ltd Private है। अतः CA हेतु भारत सरकार के पत्रांक F. No. 5-2/2017- दिनांक 28th March, 2019 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण को CA हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराना होगा अथवा नहीं ? यदि गैर वनभूमि उपलब्ध कराना है, तो CA हेतु समतुल्य गैर वनभूमि का सभी संबंधित अभिलेखों की प्रति संलग्न की जाय।
11. पार्ट-II के कंडिका 13 में CA हेतु समतुल्य गैर वनभूमि का व्यौरा अंकित की जाय।
12. CWLW का मंतव्य अप्राप्त है।

प्रस्ताव की सभी प्रतियां मूलरूप में वापस करते हुए अनुरोध है कि पत्र में उल्लेखित उपरोक्त सभी बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

प्रस्ताव के सभी प्रतियां।

(प्राथमिक-प्राथमिक प्रतियां)

विश्वासभाजन

~~KS~~
प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, आरखण्ड, राँची।

KD

5.11.21